



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या-120/2022

उर्मिला देवी

बनाम्

मो० युनुस सलीम

—: आदेश :—

80/1

प्रस्तुत अपील वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी उर्मिला देवी पति-काशी साव, ग्राम-तरवाडीह, थाना-लातेहार जिला-लातेहार के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-36/2021 में दिनांक 11.10.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध समर्पित अपील आवेदन को सुनवाई के बिन्दु पर स्वीकृत करते हुए दोनों पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया।

न्यायालय के नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्षकार अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। दिनांक 29.12.2023 को सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों द्वारा सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया कि दोनों एक ही गांव के निवासी एवं आपस में पड़ोसी है। वाद में प्रश्नागत भूमि मौजा-तरवाडीह के खाता संख्या-24, प्लॉट-911, रकबा-0.15 एकड़ का प्रतिपक्षी मो० युनुस सलीम अपना दावा उपरोक्त जमीन का अपीलार्थी उर्मिला देवी के पक्ष में छोड़ रहे हैं, जिसपर अब मालिकाना हक अपीलार्थी उर्मिला देवी की होगी। उक्त आलोक में सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत सुलहनामा को स्वीकार किया जाता है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराये। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपायुक्त,  
लातेहार।

  
उपायुक्त,  
लातेहार।